फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय – अपर जिला न्यायाधीश सं 02, केकडी, जिला अजमेर

भंवरलाल **बनाम** पन्ना वगैरह

दीवानी विविध संख्या 44/2017 (30/2018)

सी.आई.एस. क्रमांक 01/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2025	प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। इस आदेश द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.05.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका जवाब प्रार्थी की ओर से दिनांक 19.07.2025 को पेश किया गया। बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजियात को हड़प करने की नियत से एक फर्जी व कूटरचित इकरारनामा प्रार्थी द्वारा तैयार करवाया गया, जिसके संबंध में फौजदारी प्रकरण संख्या 673/2015 पुलिस थाना केकड़ी में दर्ज करवाया गया, जिसमें एफआर पेश की गई। उक्त एफआर के विरूद्ध नाराजगी याचिका प्रस्तुत की, जिसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 02 केकड़ी द्वारा सुनवाई कर पुनः अनुसंधान हेतु प्रेषित किया गया। उक्त इकरारनामा दिनांक 18.06.2014 पर अप्रार्थीगण के प्रार्थी द्वारा फर्जी तरीके से किये गये हस्ताक्षरों की फोरेन्सिक जांच करवाई गई, जो दिनांक 01.02.2025 को अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई, जो इस प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है, जिन्हें प्रस्तुत करने से प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नहीं होगी एवं न्याय निर्णयन में सहायता मिलेगी। अतः प्रार्थना पत्र	

	स्वीकार किया जाकर फोरेन्सिक रिपोर्ट दिनांक 01.02.2025 तथा नाराजगी याचिका से संबंधित पत्रावली को रिकॉर्ड पर लिया जावे। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा है कि उक्त अवमानना याचिका में दिनांक 02.03.2016 को न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि को अग्रिम आदेश तक अन्तरित नहीं करने हेतु पाबंद किया। उसके उपरांत भी साशय अन्तरिम व्यादेश का उल्लंघन कर अप्रार्थी संख्या 01 ने वादग्रस्त भूमि दिनांक 10.05.2016 को अप्रार्थी संख्या 02 को विक्रय कर दी। उपरोक्त अवमानना से संबंधित बिंदू को तय करने के लिये उपरोक्त फोरेन्सिक रिपोर्ट व दांडिक कार्यवाही की पत्रावली सुसंगत नहीं है। प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के अनुसार दिनांक 18.06.2014 के इकरारनामा पर मौजूद पन्नालाल के हस्ताक्षरों के संबंध में एफएसएल करवाई जाकर उसकी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। इसके अलावा उभय पक्ष के मध्य फौजदारी मुकदमे के संबंध में आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है। उपरोक्त इकरारनामा तथा फौजदारी प्रकरण के दस्तावेजात उक्त इकरारनामा में वर्णित विवादित सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेज है, जो कि इस प्रकरण में सुसंगत होना पाये जाते है। उपरोक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने से किसी भी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस न्यायालय को भी प्रकरण के प्रभावी निस्तारण में मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.05.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर एफएसएल रिपोर्ट एवं	

	फौजदारी प्रकरण से संबंधित आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। आदेश सुनाया गया। आगामी पेशी पर साक्ष्य अप्रार्थीगण के तहत गवाह पन्नालाल को आवश्यक रूप से हाजिर रखा जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अप्रार्थीगण में दिनांक.....को पेश हो।	